झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

झारखण्ड, राँची

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) केन्द्रो में दो वर्षीय शिक्षक–प्रशिक्षण कोर्स हेतु सत्र 2017–19 मे नामांकन हेतु विज्ञप्ति

विज्ञप्ति सं0–02/2018

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक–1382 दिनांक–20.05.2004 एवं 2102 दिनांक–28.07.2004 तथा 236 दिनांक–25.01.2006 एवं संकल्प संख्या–1386 दिनांक–03.08.2012 एवं विभागीय पत्रांक–1684 दिनांक–17.09.2013 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E) भुवनेश्वर से मान्यता प्राप्त राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) केन्द्रो के सत्र 2017–19 में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण में नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया पूरा करने के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को प्राधिकृत किया गया है।

2. एतद् उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग म अवस्थित राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) केन्द्र क सत्र 2017–19 में दो वषीय शिक्षक–प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियो से आवेदन–पत्र **दिनांक–24.09.2018 (सोमवार) के संध्या 5** बजे तक निम्न शर्तो के साथ आमंत्रित किया जाता है। महिला एवं पुरूष अभ्यर्थियों के लिए निम्नांकित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) केन्द्र चयनित है।

उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट केन्द्र है –:

क्र.सं.	महाविद्यालय/डायट केन्द्र का नाम	सीटों की संख्या	कुल सीटो का योग
I	**जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, चितरपुर (रामगढ़)**	**50**	पुरूष – **100**
II	**प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पिण्ड्राजोरा, (बोकारो)**	**50**	
III	**महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बगोदर, (गिरिडीह)**	**50**	महिला – **200**
IV	**जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) गोविन्दपुर, (धनबाद)**	**50**	
V	**जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), हजारीबाग**	**100**	

3. **शैक्षणिक योग्यता**– विभागीय संकल्प संख्या 1382 दिनांक–20.05.2004 के क्रम में संशोधित संकल्प–1386 दिनांक–03.08.2012 के द्वारा दो वर्षीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण सत्र में नामांकन हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/इंटरमीडियट/(+2) अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में सामान्य कोटि के उम्मोदवारा के लिए कम से कम 50% अंको के साथ उत्तीर्ण हो, परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए यह 45% अंक के साथ उत्तीण होना अनिवार्य है। मधांक का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

क्र.	प्राप्तांक (अनारक्षित/आरक्षित कोटि)	परीक्षावार एवं प्राप्तांक प्रतिशतवार अनुमान्य मेधांक				
		मैट्रिक	उच्च माध्यमिक/ +2	स्नातक – पास कोर्स	स्नातक – प्रतिष्ठा	स्नातकोत्तर
1	50%/45% से अधिक एवं 60% से कम	**5**	**5**	**5**	**10**	**5**
2	60% से 65% तक	**6**	**6**	**6**	**11**	**6**
3	65% से अधिक एवं 70% तक	**7**	**7**	**7**	**12**	**7**
4	70% से अधिक एवं 75% तक	**8**	**8**	**8**	**13**	**8**
5	75% से अधिक एवं 80% तक	**9**	**9**	**9**	**14**	**9**
6	80% से ऊपर	**10**	**10**	**10**	**15**	**10**

I. एन.सी.सी. (बी. सटिफिकेट) – 2 अंक **प्रवेश हेतु कुल मेधांक–45 अंक**

II. एन.सी.सी. (सी. सटिफिकेट) – 3 अंक

III. खेलकुद में जिसमें राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो और खेलकूद का प्रमाण पत्र सक्षम संस्थान से निर्गत हो – 3 अंक

IV. खेलकुद में जिसमें देश का प्रतिनिधित्व किया हो और खेलकूद का प्रमाण पत्र सक्षम संस्थान से निर्गत हो – 5 अंक

कुल मिलाकर (45+5) – 50 अंक

कुल मेधांक समान रहने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारियों को नामांकन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। यदि सभी कुछ समान हुए तो जिस उम्मीदवार की जन्मतिथि पूर्व की हो उन्हें जन्मतिथि के आधार पर चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

4. **उम्र सीमा** :– आवेदक की उम्र पहली जुलाई, 2018 को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

5. **आरक्षण** :– विभागीय एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड के पत्र संख्या–6191 दिनांक–09.11.2002 एवं पत्र संख्या– 1072 दिनांक–17.02.2008 के आलोक में नियमानुसार आरक्षण काटि के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। आरक्षण कोटि के उम्मीदवार को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति–प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुमण्डल पदाधिकारी से निर्गत जाति–प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने की स्थिति में उम्मीदवार का आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन–पत्र समर्पित करने के बाद की तिथि से निर्गत जाति–प्रमाण पत्र आरक्षण लाभ के लिए मान्य नहीं है।

6. **आवासीय** :– कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–3158 दिनांक–18.07.2016 एवं विभागीय पत्रांक–1382 दिनांक–20.05.2004 के अनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी से निर्गत झारखण्ड राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7. विभागीय संकल्प संख्या 1386 दिनांक–03.08.2012 के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में विषयवार सीटो का बटवारा एवं उसके विरूद्ध नामांकन निम्नवत् होगा :–

1	भाषा	हिन्दी/संस्कृत/अरबी/फारसी/उर्दू	30 प्रतिशत
		अंग्रेजी	10 प्रतिशत
		जन जातीय/क्षेत्रीय भाषाएं	10 प्रतिशत
2	विज्ञान	भौतिक/ गणित	15 प्रतिशत
		रसायन/जीव विज्ञान	15 प्रतिशत
3	समाज अध्ययन	इतिहास/भूगोल/नागरिक शास्त्र/अर्थशास्त्र/वाणिज्य	20 प्रतिशत

8. **दिव्यांग उम्मीदवार** – दिव्यांग उम्मीदवारो को सभी कोटि में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–5671 दिनांक–04.07.2016 एवं संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में 5% आरक्षण अपने ही कोटि के अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण (अंधापन/कमदृष्टि–1%, श्रवण अशक्तता–1%, चलन अशक्तता/सेरेब्रल पाल्सी–1%, स्वलीनता (Autism)–1% एवं बहु निःशक्तता 1% कुल 5%) का लाभ दिया जायेगा। दिव्यांग उम्मीदवारो को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें दिव्यांग कोटि में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। साथ हीं आवेदन पत्र प्रेषित करने वाले लिफाफ के ऊपर दिव्यांग कोटि (सामान्य/पिछड़ा वर्ग–1/पिछड़ा वर्ग–2/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) पुरूष/महिला स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य है।

9. **शुल्क आवेदन पत्र के साथ** – आवेदन पत्र के साथ सामान्य कोटि/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू० 100/– (एक सौ रूपये) तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू० 30/– (तीस रु०) का बैंक ड्राफ्ट शुल्क के रूप में देय होगा। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीय बैंक से निर्गत एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग (RDDE, North Chhotanagpur Division, Hazaribag) के पदनाम से निर्गत तथा हजारीबाग में भुगतेय होना चाहिए। बैंकर्स चेक अथवा पोस्टल आर्डर किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

10. **आवेदन कैसे करें** – नामांकन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में विहित प्रपत्र में पूर्ण भरे हुए आवेदन–पत्र सभी अनुलग्नको सहित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग (प्रधान डाक घर के निकट) झारखण्ड पिन कोड–825301 को भेजे। लिफाफा के ऊपर मोटे अक्षरो में पुरूष कोटि/महिला कोटि अंकित करेंगे। नामांकन के लिए बुलावा–पत्र हेतु 23X10 सेमी० स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिसपर 40 रूपये का डाक टिकट चिपका हुआ हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11. **आवेदन भरने की अंतिम तिथि** – भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक–24.09.2018 (सोमवार) के संध्या 5** बजे तक हीं सिर्फ निबंधित डाक या SPEED POST के माध्यम से हीं प्राप्त किया जाएगा। हाथोहाथ/सामान्य डाक/विलम्ब स प्राप्त आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र भरने की शर्ते एवं नियम तथा विहित प्रपत्र की जानकारी हेतु www.hazaribag.nic.in/अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

12. आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का अंक पत्र/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों की पुष्टि में स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट छायाप्रति अवश्य संलग्न करेंगें। अन्यथा इसके अभाव में त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मानकर चयन प्रक्रिया के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

13. नामाकन हेतु चयनित अभ्यर्थियो को चयन की सूचना डाक से भेजी जाएगी। अचयनित उम्मीदवारो को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को नामांकन के समय सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों की मूल प्रति उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में नामांकन नहीं लिया जाएगा तथा उनका दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अस्वीकृत आवेदन पत्र कार्यालय अभिलेख के रूप में रखे जायेगे अर्थात इसे लौटाया नहीं जायेगा।

14. विभाग द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में नामांकन हेतु चयन की सारी प्रक्रिया उस आदेश से प्रभावित होगा। इसके लिए अधोहस्ताक्षरी को सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

(रतन कुमार सिंह)
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

विहित – प्रपत्र
झाखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड , रांची

(उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं डायट केन्द्र में सत्र 2017–19 अंतर्गत नामांकन हेतु)

आवेदन पत्र

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती/सुश्री..पिता/पति श्री................................... का नाम राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय /डायट............ में नामांकन के लिए अनुशंसित किया जाता है। इनका नाम मेधा सूची के क्रमांक..................... पर अंकित है।

क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
दिनांक– उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :..
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :..
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
3. जन्मतिथि (माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के अनुसार)
(क) अंको में .... (ख) अक्षरो में ....
4. दिनांक– 01.07.2018
को कुल आयु : वर्ष .... माह......................... दिन........................
5. विषय का नाम : ....(इंटर स्तर या समकक्ष योग्यता के परीक्षा में अधिक अंक (राष्ट्रभाषा छोड़कर) पाने वाले विषय ही विषय का नाम होगा)
6. कोटि का नाम : ....(पुरूष/महिला– सामान्य/पिछड़ी जाति I/II/अनुसूचित जाति/जनजाति)
7. **स्थायी पताः**
ग्राम/मोहल्ला :................................ पो०.. थाना....................................
जिला .... राज्य....................................... पिनकोड..............................
फोन न0 .... मोबाईल.................................. ई–मेल पता...........................
8. **वर्तमान/पत्राचार का पताः**
ग्राम/मोहल्ला :................................ पो०.. थाना....................................
जिला .... राज्य....................................... पिनकोड..............................
फोन न0 .... मोबाईल.................................. ई–मेल पता...........................

(झारखण्ड राज्य में निवास करने का प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय/जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा)

9. **शैक्षणिक योग्यताः–**

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
(क)	मैट्रिक				
(ख)	इंटर				
(ग)	स्नातक				
(घ)	स्नातक (प्रतिष्ठा)				
(ड.)	स्नातकोत्तर				
(च)	क्रीड़ा				
(छ)	एन0सी0सी0				

10. क्या आप सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/सांसद/भूतपूर्व सांसद/विधायक/भूतपूर्व विधायक या पूर्व पार्षद के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी है अगर हाँ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें –..
11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? अगर हाँ तो जिला असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करे..
(क) दिव्यांगता का प्रकार ....(ख) दिव्यांगता का प्रतिशत...
12. शुल्क का विवरण (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रू0 100/– और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रू0 30/– का ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग (RDDE, NC. DIVISION, HAZARIBAG) के पदनाम से निर्गत तथा हजारीबाग में भुगतेय हो संलग्न करें।
(क) ड्राफ्ट सं0 .... (ख) बैंक का नाम ....
(ग) राशि ....(घ) निर्गत की तिथि ....
13. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट का नाम जहाँ आवेदक नामांकन कराना चाहते है? (पुरूश आवेदक वरीयता के अनुसार दो महाविद्यालय का नाम अंकित करें। महिला अभ्यर्थी सिर्फ महिला हेतु चयनित तीन संस्थान महाविद्यालय का नाम अंकित करें।
(क)....................................(ख)...(ग)...
14. अनुलग्नक (निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें एवं संबंधित बॉक्स में (हाँ/नही) लिखे।

क.सं.	विवरण	हाँ/नहीं			हाँ/नही
1	मैट्रिक का मूल प्रमाण–पत्र		7	क्रीड़ा प्रमाण–पत्र	
2	मैट्रिक का अंक–पत्र		8	एन. सी.सी. प्रमाण–पत्र	
3	इन्टर का अंक–पत्र		9	अवासीय प्रमाण–पत्र	
4	स्नातक का अंक–पत्र		10	जाति प्रमाण–पत्र	
5	स्नातक (प्रतिष्ठा) का अंक–पत्र		11	दिव्यांगता प्रमाण–पत्र	
6	स्नातकोत्तर का अंक–पत्र		12	स्वपता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 40/– का डाक टिकट सहित	

15. मै घोषणा करता/करती हूँ कि –
(क) आवेदन पत्र में अंकित एवं संलग्न सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य है। नामांकन के समय या प्रशिक्षण के दौरान कोई भी उक्त अंकित सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी रद्द/महाविद्यालय से निष्कासित कर दी जाए तथा मेरे उपर कार्रवाई की जाय।
(ख) मै अनुशंसित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/ डायट में ही नामांकन कराउँगा/ कराउँगी। अन्य किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट में स्थानांतरण हेतु दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थानः..........................
दिनांक........................ आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय/ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में नामांकन हेतु आवेदन पत्र भरने का नियम एवं शर्त :–

1 (क) **कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–3158 दिनांक–18.07.2016 के अनुसार झारखण्ड राज्य स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान वाले आवेदन दे सकते है।**

(ख)– भूतपूर्व सैनिको के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण–पत्र की छूट होगी।

– वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आये विस्थापित परिवार का हों तथा जिनके पालकों में से कोई भी झारखण्ड राज्य में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों।

– झारखण्ड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदो/विधायकों/पूर्व विधायकों एवं पूर्व पार्षदो के पुत्र/पुत्रियां हो।

– विवाहित महिला अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य की हो और इस राज्य में उनका ससुराल हो तो वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पत्नी का दावा मान्य नहीं होगा।

– आवेदन पत्र के साथ आवासीय/जाति प्रमाण–पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुमण्डल पदाधिकारी से निम्न स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय/ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

2. – **नामांकन शुल्क –**

(i) चयनित आवेदको से सरकार द्वारा निर्धारित निम्न शुल्क नामांकन के समय लिये जायेगे–

(क) सामान्य/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा कोटि के उम्मीदवारों से रू0 3000/–(तीन हजार रूपए)

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारो से रू0 1000/– (एक हजार रूपए)

(ii) शिक्षण शुल्क – नामांकन के पश्चात् महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क निम्न प्रकार लिए जायेगेः–

(क)	शिक्षण शुल्क	–	200/– प्रतिमाह
(ख)	क्रीड़ा शुल्क	–	100/– प्रतिमाह
(ग)	कॉमन रूम शुल्क	–	100/– प्रतिमाह
(घ)	विद्युत प्रभार एवं अन्य शुल्क	–	100/– प्रतिमाह
(ड़)	महाविद्यालय विकास कोष	–	1000/– (पूरे प्रशिक्षण अवधि में एक बार)

(iv) प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात परीक्षा शुल्क– प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् अंतिम परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र भरने के समय सामान्य एवं पिछड़ी कोटि के उम्मीदवारों को 1500/– तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति को 500/– देय होगा।

(रतन कुमार सिंह)
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग